

कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पंचवारा

भू०सू०/संस्थानिक (2)/2017/7444

दिनांक 27.07.2017

.....संपरिवर्तन आदेश.....

श्री रामसहाय मेमोरियल कल्याण संस्थान जरिये सचिव रामविलास मीना पुत्र मेदाराम मीना निवासी तहसील रामगढ पंचवारा जिला दीसा (राज.) के आवेदन पत्र उनकी खातेदारी अभिधृति कृषि भूमि स्थान भू-राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन नियम, 2007 के (D) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां निम्न हैं।

आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम/पिता/पति नाम सहित पूरा पता	श्री रामसहाय मेमोरियल कल्याण संस्थान जरिये सचिव रामविलास मीना पुत्र मेदाराम मीना निवासी डूंगरपुर तहसील रामगढ पंचवारा जिला दीसा (राज.)
आवेदक अनुरक्षित जाति/जनजाति का स्वरूप	सामान्य
संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम डोलावास तहसील रामगढ पंचवारा, ग्राम पंचायत डूंगरपुर तहसील रामगढ पंचवारा
भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (है० म)	ग्राम डोलावास स्थित खसरा नम्बर 399 रकबा 31.03 बिघा में से 3670 वर्गमीटर शिक्षण संस्थान हेतु (संस्थानिक प्रयोजनार्थ)
प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल को संपरिवर्तित करने हेतु संपरिवर्तित क्षेत्रफल (अक्षरों में या वर्गमीटर में)	ग्राम डोलावास स्थित खसरा नम्बर 399 रकबा 31.03 बिघा में से 3670 वर्गमीटर शिक्षण संस्थान हेतु (संस्थानिक प्रयोजनार्थ)
संपरिवर्तन का प्रयोजन	शिक्षण संस्थान हेतु (संस्थानिक प्रयोजनार्थ)
संपरिवर्तन की दर	डी.एल.सी. दर के 10 प्रतिशत की दर से कुल राशि 123500/- (अठारें एक लाख तीसरा हजार पांच सौ रूपयें मात्र)
संपरिवर्तन की सं० तथा तारीख सहित जमा कराई गई राशि का विवरण	(1) मद 0029 भू-राजस्व - तालान सं. दिनांक राशि(रूपयें) 15 27.07.2017 123500/- (2) पी०टी०ए० में

फाटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक
रामगढ पंचवारा

गलान की सं० तथा तारीख सहित शरित यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम (बैंक में जमा राशि की दिनांक)	तालान सं	दिनांक	राशि(रुपये)
	(1)	मद 0029	भू-राजस्व-
गलान की सं० तथा तारीख सहित ब्याज(यदि कोई हो) की जमा कराई गई रकम (बैंक में जमा कराई गई रकम (बैंक में जमा राशि की दिनांक)	तालान सं	दिनांक	राशि(रुपये)
	(1)	मद 0029	भू-राजस्व-
आ आदेश नियमितिकरण के लिए नियम-13 के अधीन जारी किया गया-	नही		

पर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-
 1. उपर्युक्त संस्थानिक प्रयोजनार्थ प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
 2. यदि आवेदक इन नियमों के नियम 14 में विनिर्दिष्ट 5 वर्ष की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि, यदि कोई हो के भीतर संपरिवर्तन संस्थानिक प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन राज्य सरकार में समपहृत हो जायेगा।
 3. नियम 4 में यथा भूमि का उपयोग अन्य अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
 4. संस्थानिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग को अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा तथा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृती के रूपान्तरित भूमि या उसके भाग को अन्य को विक्रय, हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा।

(डॉ. गोरधन लाल) अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 जिला-दीसा (राज)
 रामगढ़ पंचवारा (दीसा)
 (विहित प्राधिकृत अधिकारी)

दिनांक: 27.07.2017

सं० 0000 / संस्थानिक(2) / 2017 / 7445-7449
 आदेश- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
 1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, दीसा।
 2. तहसीलदार, रामगढ़ पंचवारा।
 3. पटवारी पटवार हल्का डोलावास को राजस्व रिकॉर्ड में अमल करने हेतु।
 4. सचिव सरपंच ग्राम पंचायत जूगरपुर पंचायत समिति लालसोट।
 5. श्री रामसहाय मेमोरियल कल्याण संस्थान जसिधे सचिव रामदिलास मीना पुत्र मेदाराम मीना निवासी जूगरपुर तहसील रामगढ़ पंचवारा जिला दीसा (राज)
 6. गाठ फाईल।

फाटो प्रति प्रमाणित
 उष पंजियक
 रामगढ़ पंचवारा

(डॉ. गोरधन लाल)
 उपखण्ड अधिकारी

कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पंचवारा

क्रमांक: भू०रू०/संस्थानिक (2)/2017/1450


दिनांक: 27.07.2017

:::संपरिवर्तन आदेश:::

श्री रामसहाय मेमोरियल कल्याण संस्थान जरिये सचिव रामविलास मीना पुत्र मेदाराम मीना निवासी झूगरपुर तहसील रामगढ पंचवारा जिला दौसा (राज.) के आवेदन पत्र उनकी खातेदारी अभिपूति कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन नियम, 2007 के नियम 9(D) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं।

1	आवेदक खातेदार अभिघारी का नाम/पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	श्री रामसहाय मेमोरियल कल्याण संस्थान जरिये सचिव रामविलास मीना पुत्र मेदाराम मीना निवासी झूगरपुर तहसील रामगढ पंचवारा जिला दौसा (राज.)
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है।	सामान्य
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा:- (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (है० में) (ग) प्रत्येक खसरा सं. के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टर या वर्गमीटर में) टिप्पणी:-अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि को वसति हुए राजस्व नक्शे के तुरन्त भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	ग्राम झूगरपुर तहसील रामगढ पंचवारा, ग्राम पंचायत झूगरपुर तहसील रामगढ पंचवारा ग्राम झूगरपुर स्थित खसरा नम्बर 142 रकबा 5.2 बिघा, खसरा नं. 266/143 रकबा 6.07 में से 4936 वर्गमीटर शिक्षण संस्थान हेतु (संस्थानिक प्रयोजनार्थ) ग्राम झूगरपुर स्थित खसरा नम्बर 142 रकबा 5.2 बिघा, खसरा नं. 266/143 रकबा 6.07 में से 4936 वर्गमीटर शिक्षण संस्थान हेतु (संस्थानिक प्रयोजनार्थ)
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	शिक्षण संस्थान हेतु (संस्थानिक प्रयोजनार्थ)
5	संश्लेष प्रीमियम की दर	डी.एल.सी. दर के 10 प्रतिशत की दर से कुल राशि 158140/- (अक्षरे एक लाख अठाव हजार एक सौ घालिस रुपये मात्र)
6	चालान की सं० तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम।	(1) मद 0029 भू-राजस्व- चालान सं. दिनांक राशि(रुपये) 16 27.07.2017 158140/- (2) पी०डी०ए० में- चालान सं. दिनांक राशि(रुपये) - -




 सचिव

	चालान की सं० तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम (बैंक में जमा राशि की दिनांक)	(1) मद 0029 भू-राजस्व- चालान सं. दिनांक राशि(रूपये) - - -
8	चालान की सं० तथा तारीख सहित ब्याज(यदि कोई हो) की जमा कराई गई रकम (बैंक में जमा कराई गई रकम (बैंक में जमा राशि की दिनांक)	(1) मद 0029 भू-राजस्व- चालान सं. दिनांक राशि(रूपये) - - -
9	क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम-13 के अधीन जारी किया गया:-	नहीं

10. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

1. उपर्युक्त संस्थानिक प्रयोजनार्थ प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
2. यदि आवेदक इन नियमों के नियम 14 में विनिर्दिष्ट 5 वर्ष की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि, यदि कोई हो के भीतर संपरिवर्तन संस्थानिक प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन राज्य सरकार में समपहृत हो जायेगा।
3. नियम-4 में यथा भूमि का उपयोग अन्य अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
4. संस्थानिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग को अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा तथा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृती के रूपान्तरित भूमि या उसके भाग को अन्य को विक्रय, हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा।

(डॉ. गोरधन लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पंचवारा (दौसा)
(विहित प्राधिकृत अधिकारी)

क्रमांक:भू०रू०/ संस्थानिक (2)/2017/ 7451 - 7455
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 27.07.2017

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, दौसा।
2. तहसीलदार, रामगढ पंचवारा।
3. पटवारी, पटवार हल्का डूंगरपुर को राजस्व रिकॉर्ड में अमल करने हेतु।
4. सचिव, सरपंच ग्राम पंचायत डूंगरपुर पंचायत समिति लालसोट।
5. श्री रामसहाय मेमोरियल कल्याण संस्थान जरिये सचिव रामविलास मीना पुत्र मेदाराम मीना निवासी डूंगरपुर तहसील रामगढ पंचवारा जिला दौसा (राज.)
6. गार्ड फाईल।



(डॉ. गोरधन लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पंचवारा (दौसा)
(विहित प्राधिकृत अधिकारी)

देखिये नियम 8 (2) और 8(3)

विहित प्राधिकारी/जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार... लाहौर (देखा)

110

दिनांक 25/11/09

संपरिवर्तन आदेश

खातेदारी अभिधारी श्री राम सहाय मेमोरियल कल्याण संस्थान तहसील इंगरपुर के आवेदन
की खातेदारी अभिधारी, में धारित कृषि भूमि को राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए
(सं. 1992 के नियम 8(2) 8(3) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी
शर्तों नीचे दी गई है।

आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित श्री देव प्रताप मोनाक्ष श्री राम सहाय
तथा पूरा पता मीना निवासी इंगरपुर तहसील लाहौर

आवेदक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य है
संपरिवर्तित भूमि का व्योरा आरजे 2600/43 रकबा 11 बिला

(क) ग्राम/ग्राम/पंचायत/तहसील का नाम इंगरपुर/ता. इंगरपुर/लाहौर

(ख) भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टर) में 1260 वर्ग मीटर

(ग) प्रत्येक खसरा सं. के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए
संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्गमीटर में)

टिप्पणी : अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए, राजस्व
नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न हैं।

संपरिवर्तन का प्रयोजन शैक्षणिक संस्था

आदेश प्रीमियम की दर 5000 प्रति वर्ग मीटर

जालान की सं. तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम 3150

जालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा रु. 6300/-

करायी गयी रकम NIL

यथा आदेश नियमितकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया है।

अन्य विशिष्टियाँ, यदि कोई हों NIL

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा।

- उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। X
- यदि आवेदन इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कलावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदन द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहत हो जायेगा।
- नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमा अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

विहित अधिकारी की गोल मुहर

उप खण्ड अधिकारी
विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
लाहौर, जि० देखा
(जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार)

संख्या 749-30

श्री राम सहाय
सचिव

दिनांक 25/11/09

प्रतिलिपि: श्री राम सहाय मेमोरियल कल्याण संस्थान

1. जिला कलेक्टर देखा

2. ग्राम पंचायत इंगरपुर

3. आवेदक श्री इंगरपुर/ता. इंगरपुर/लाहौर/मीना

4. निवासी इंगरपुर

उप खण्ड अधिकारी
विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
लाहौर, जि० देखा

देखिये नियम 8(2) और 8(3)

विहित प्राधिकारी/जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार राजपुर

दिनांक 25/2/09

111

संपरिवर्तन आदेश

श्री दीनदयाल पुत्र श्री मेहरारम भोवा

तहसील राजपुर

के आवेदन

उसकी खातदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 के नियम 8(2) \ 8(3) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं।

आवेदक खातदारी अभिधारी का नाम गिता/पति के नाम सहित श्री दीनदयाल पुत्र श्री मेहरारम भोवा निवार

तथा पूरा पता इंजारपुर तहसील राजपुर जिला दोसा

वया आवेदक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य SIT

संपरिवर्तित भूमि का व्यौरा ग्राम इंजारपुर, पंचायत इंजारपुर, तहसील राजपुर

(क) ग्राम/ग्राम/पंचायत/तहसील का नाम

(ख) भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टर) में 143 खसरा 15 बरका

(ग) प्रत्येक खसरा सं. के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए 1260 क.मीटर

संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्गमीटर में)

व्यंजी : अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए, राजस्व नवशे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है नकशा नुसार

संपरिवर्तन का प्रयोजन श्री श्री गिरी प्रदीप नारायण

सदय प्रीमियम की दर रुपये प्रति क.मीटर

चालान की सं. तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम या 6028 राशे 3150 रु. PDAIT

चालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम 3150 रु. राशे 6200 रु.

चालान की सं. सहित न्याज, कोई हो, की जमा करायी गयी रकम निल

क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया है। है

अन्य विशिष्टियाँ, यदि कोई हों नहीं

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा।

1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदन इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कलावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदन द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन सम्पहत हो जायेगा।
3. नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमा अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

विहित अधिकारी की गोल मुहर

श्री राम कल्याण मेमोरियल कल्याण संस्थान
सचिव (जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार)

संख्या 757/52

शुगरपुर, तह. रागगढ़, पंचबारा (दोसा)

दिनांक 25/2/09

1. जिला कलेक्टर दोसा

2. ग्राम पंचायत इंजारपुर

3. आवेदक श्री श्री दीनदयाल पुत्र श्री मेहरारम भोवा

4. निवासी इंजारपुर

उपखण्ड अधिकारी
हस्ताक्षर
हाक बोर्ड नि 0 दोसा